

कैसे आवेदन करें

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना पाने के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत करें

देय शुल्क और भुगतान के माध्यम का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए शुल्क के भुगतान पर क्लिक करें ।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा वांछित सूचना हेतु इसके लिए उत्तरदायी जन सूचना अधिकारी को ही आवेदन किया जाए । जन-सूचना अधिकारियों की विस्तृत सूची के लिए जन सूचना अधिकारियों की सूची पर क्लिक करें । (<http://www.stc.gov.in/RTI Act/Annexure V.doc>)के लिए संपर्क) सन्देह होने पर सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन करें ।

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना माँगने के लिए आवेदन पत्र

आई.डी.सं.-----

(कार्यालय के प्रयोग हेतु)

सेवा में

सहायक/केन्द्रीय/राज्य जन सूचना अधिकारी,
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०,

महोदय,

1. आपसे अनुरोध है कि मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान करें :

2. मुझे कहना है कि माँगी गई सूचना, अधिनियम की धारा ८ और ९ में निहित प्रतिबंधों में नहीं आती और मेरी उत्तम जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से संबंधित है ।

3. मैं समाज के गरीबी की रेखा के नीचे के वर्ग से संबंध रखता हूँ और इस प्रकार मेरे द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है ।

या

मैं समाज के गरीबी की रेखा के नीचे के वर्ग से संबंधित नहीं हूँ और -----रु० का शुल्क, दिनांक ----- की रसीद सं. ----- के अनुसार एसटीसी के रोकडिया के पास नकद जमा करा दिया है, प्रति संलग्न है ।

या

मैं समाज के गरीबी की रेखा के नीचे के वर्ग से संबंधित नहीं हूँ और इसके द्वारा -----रु० का शुल्क, से आहरित दिनांक ----- का डी डी सं.----- संलग्न है । ४. प्रमाणित किया जाता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ ।

स्थान:-----

दिनांक:-----

आवेदक के हस्ताक्षर-----

आवेदक का नाम -----

पिता/पति का नाम-----

टेलीफोन नं.(कार्यालय)-----

आवास -----

डाक का पता -----

ई-मेल-----

(जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदन शुल्क का विवरण

1. आवेदन शुल्क: १०/- रुपये

२. सूचना प्रदान करने की लागत हेतु अतिरिक्त शुल्क :

(क) सृजित या कापी किए गए (ए-४ या ए-३ आकार के कागज) प्रत्येक पृष्ठ हेतु दो रुपये;

(ख) बड़े आकार के कागज पर एक प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य ;

(ग) नमूनों या माडलों की वास्तविक लागत या मूल्य, और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं ; और उसके बाद प्रत्येक १५ मिनट के लिए (या उसके भाग हेतु) ५ रुपये प्रत्येक का शुल्क ।

(ड.) डिस्क या पलापी में दी गई सूचना हेतु, प्रति डिस्क या पलापी हेतु ५० रुपये प्रत्येक ; और

(च) मुद्रित रूप में दी गई सूचना हेतु ऐसे प्रकाशन के लिए तय मूल्य पर या प्रकाशन के सार के लिए फोटोकापी के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपये ।

३. भुगतान का माध्यम

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना माँगते समय भुगतान योग्य शुल्क की कुल राशि एसटीसी के रोकडिया के पास नकद या स्थान पर देय स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में जमा कराया जाए, जहाँ अनुरोध किया गया है ।
